

10/11/05
 1000/-
 10/11/05

10/11/05
 1000/-
 10/11/05

10/11/05

10/11/05



10/11/05

10/11/05

10/11/05

Per Translata College of Education
 President



000752

17 JAN 2005

द्वितीय पक्ष को बिरायेपर देने का प्रस्ताव **स्वीकृत** है, अतः प्रथम पक्ष ने निम्न बातों के आधीन उक्त सम्पत्ति को तीस साल के लिये द्वितीय पक्ष को बिराये पर देना अनिवार्य किया है, जिसके दोनों पक्ष व उनके उत्तराधिकारी निम्न धाराओं के पाबन्द रहेंगे:-

- 1- यह कि बिरायेदारी दिनांक 01-01-2004 से प्रारम्भ हो गयी है, तथा बिरायेदारी का प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष की पहली तारीख को शुरू होकर उसी वर्ष की अन्तिम तारीख या अर्थात् 31 दिसम्बर को पूरा हुआ करेगा।
- 2- यह कि उक्त सम्पत्ति का बिराया दोनों पक्षों में 5,000/- रुपये प्रतिवर्ष तथा पाया है, जिसे द्वितीय पक्ष प्रति वर्ष प्रथम पक्ष को देने के पाबन्द व जिम्मेदार रहेंगे तथा उक्त सीज की अवधि 01-01-2004 से तीस वर्ष तक रहेगी।
- 3- यह कि द्वितीय पक्ष ने उक्त सम्पत्ति पर बजारीये बिरायेदार अपना कब्जा कर लिया है, तथा द्वितीय पक्ष को उक्त सम्पत्ति पर अपनी आवश्यकतानुसार अन्य निर्माण करने व अपनी आवश्यकतानुसार व अपनी इच्छानुसार उक्त सम्पत्ति को हस्तान्तर करने व संस्था के लिये कार्य करने व शिक्षा कार्य करने आदि के समस्त अधिकार प्राप्त रहेंगे।
- 4- यह कि बिरायेदारी 01-01-2004 से तीस वर्ष तक रहेगी, तथा उक्त अवधि में कोई बिराया दोनों पक्षों की सहमति से घटाया या बृद्धिमान नहीं होगा।
- 5- यह कि उक्त सम्पत्ति पर बिजली व पानी आदि अन्य देय जो द्वितीय पक्ष को

Signature

Signature

For Translam College of Education

President

1000Rs.

(72)



060753

17 JAN 2005

-3- गैरक

किरायेदारी के कारण पक्ष द्वितीय द्वारा उक्त सम्पत्ति को प्रयोग करने के कारण होंगे उन्हें द्वितीय पक्ष ही अदा किया करेंगे।

6- यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति को अपने प्रयोग में ही लायेंगे, किसी अन्य को प्रकृति किरायेदार नहीं रखेंगे।

7- यह कि किरायेदारी की अवधि पूरी होने पर द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर अपने द्वारा किये गये निर्माण को उठा लेंगे जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8- यह कि किरायेदारी की अवधि में अर्न्तगत धारा 108 बी0 जे0 ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी एक्ट के अनुसार द्वितीय पक्ष किरायेदार को अधिकार होगा कि वह किसी भी बैंक या संस्था के लीज राईट व निर्माण के स्वामित्व राईट्स को मोरगेज करें, इसके लिये प्रथम पक्ष की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

9- यह कि लीज अवधि के अन्दर प्रथम पक्ष को जब तक बैंक या संस्थायी संस्था का ऋण अदा नहीं हो जायेगा लीज समाप्त करने का अधिकार नहीं होगा, अर्थात् लीज अवधि के अन्दर प्रथम पक्ष किसी भी सूत्र में लीज समाप्त नहीं करेंगे।

10- यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति में प्रकृति से सम्बन्धित समस्त कार्य हेतु जैसे कि कालेज

For Translam College of Education

For Translam College of Education

President

President

॥- यह कि उपरोक्त धाराओं का दोनों पक्ष पूर्ण रूप से पालन करेंगे अतः यह किराया-
नामा अवधि 30 तीस का लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो । इति ।

21. 100 100 100
100 100 100